न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयुपर।

बइजलासः जूही भार्गव आर.ए.एस

वाद संख्या 146/2017 निर्णय दिनांक 17.02.2020

1. नानूराम श्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. रामनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जुगल किशोर पुत्र जगदीश प्रसाद
4. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. आर.एम.जी.बी. जरिये शाखा टाकरडा तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम पोखरसाकाबास उर्फ राधाकिशनपुरा तटवार हल्का सिरसली भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 33 व पुराना खाता संख्या 29 की आराजी खसरा नबर 214 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर जो इस वाद में वाद ग्रस्त है।

वाद वत्र के मद नंबर 1 में उल्लेखित खाता संख्या 33 की आराजी खसरा नंबर 214 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.9100 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 13/42 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का 1/84, 1/84 हिस्सा निहित है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा वाद पत्र के मद नंबर 1 में उल्लेखित कृषि भूमि का मनबट के अनुसार विभाजन कर रखा है तथा उक्त मनबट के अनुसार काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार लगान सरकार में अदा करते चले आ रहे है तथा पक्षकारों के मध्य वाद पत्र अनुसार कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

वादी का वाद पत्र के मद नंबर 1 में उल्लेखित कृष्ि भूमि खसरा नंबर 214 में उत्तर से दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर प्रतिवादी संख्या 2 के पश्चात तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में पूर्व की आरे प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 के पश्चात वादी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

वर्तमान में वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित भूमि जयपुर शहर के निकट हो के कारण उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के भावों में तीव्र बढोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वाद पत्र के दम नंबर में वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भूखण्डों के रूप में बेचने पर आमदा हो रहे है किन्तु उक्त वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित कृषि भूम वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 की अविभाजित सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसका विभाजन नहीं हुआ है।

दिनांक 21.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांच–सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और वादी की कब्जा काश्त की भूमि को दिखाने लगे वादी द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमउ क्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को उक्त दीगर व्यक्तियों को बेचेंगे तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से कहा कि अभी विवादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है और यह मनबट के अनुसार हुये विभाजन के अनुसार मेरे हिस्से मे आयी कब्जे व खातेदारी

की भूमि है जिस कारण आप कब्जे काश्त भूमि का बेचान नही कर सकते है और ना ही मेरे कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर सकते हो पहले भूमि का विधिवत विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व उनके साथि आये पांच–सात दीगर व्यक्ति वादी को धमकाने लगे।

ऐसे में वादी को यह अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर वाद पत्र में वर्णित नया खाता संख्या 33 व पुराना खाता संख्या 29 की आराजी खसरा नंबर 214 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 2.9100 हैक्टेयर में निहित वादी के वाद पत्र में वर्णित हिस्से व कब्जे नुसार विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी करावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उक्त कृषि भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये बेचान व हस्तान्तरण रहन बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करे, तथा ना ही वादी को उसके कब्जे काश्त व हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित ना करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 6 वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मं परिवर्तन करे तथा ना प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि का कोई विक्रय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक ना करें।

न्यायालय द्वारा उक्त अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का बिा विधिवत विभाजन कराये बेचान कर वादी के हक हकूकों को सदा के लिए समाप्त कर देंगे फलस्वरूप वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी।

वादी ने अन्त में निवेदन किया है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बाबत विभाजन डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित नया खाता संख्या 33 व पुराना खाता संख्या 29 की आराजी खसरा नंबर 214 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.9100 हैक्टेयर में निहित वादी के वाद पत्र के मद नंबर 4 में वर्णित हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का पर्चा लगान अलग से जारी किया जावे तदा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को निर्देशित किया जावे।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बिना विधिवत कराये बेचान व हस्तान्तरण रहन बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करे, तथा न ही वादी को उसके कब्जे काश्त व हक व हिससे की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें, तथा न ही प्रतिवादी संख्या 6 वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि का कोई विक्रय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक ना करें।

वादीगण की ओर से बतौर सबूत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस एवं प्रमाणित प्रति जमाबन्दी पेश की है।

दिनांक 04.01.2018 को अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस उपरांत वाद वादी बाई मीट्स एंड बाउंड्स प्राथमिक डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील दायर की गई। उक्त अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.01.2018 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रेषित किया गया तथा निर्दिष्ट किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने ख.नं. 213 व 214/450 वाके ग्राम पोखरसा का बास उर्फ राधाकिशनपुरा को वादग्रस्त भूमि के साथ विधिवत विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 21.08.2019 को खसरा नंबरान 213 व 214/450 वाके ग्राम पोखरसा का बास उर्फ राधाकिशनपुरा को प्राथमिक डिक्री में सम्मिलित करते हुए मूल वाद बाई मीट्स एंड बाउंड्स प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार आमेर को निर्दिष्ट किया गया कि विवादित

कृषि भूमि नया खाता संख्या 33 व पुराना खाता संख्या 29 की आराजी खसरा नबर 214 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 298 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 213 रकबा 0.01 है0, 214/450 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम पोखरसाकाबास उर्फ राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके पर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायें।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा जरिए पत्रांक भूअ/2019/6078 दिनांक 26.11.2019 कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय को भिजवाए गए। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:—

1. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/6 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मुर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 5/12 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद हिस्सा 5/12 जाति अहीर सा. केसाकाबास हाल सा. देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/3 रकबा 0.06 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
2. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/4 रकबा 0.29 है0, 214/10 रकबा 0.23 है0, 298 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
3. रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तहसील सांभर सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214 रकबा 0.945 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
4. नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तह0 सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/5 रकबा 0.37 है0, 214/7 रकबा 0.005 है0, 214/9 रकबा 0.49 है0, 298/1 रकबा 0.05 है0, 214/12 रकबा 0.01 है0, 214/450 रकबा 0.005 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
5. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 349/600, रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनाराायण हिस्सा 1/600, नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 3/12 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/12 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/12 जाति अहीर सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/1 रकबा 0.06 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
6. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 13/42 नानूराम पुत्र लक्ष्मीनाराायण हिस्सा 1/3 रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/84 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/84 संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद जाति अहीर सा0 केसाकाबास तह0 सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/2 रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
7. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जाति अहीर सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 213 रकबा 0.01 है0, 214/6 रकबा 0.01 है0, 214/8 रकबा 0.05 है0, 214/11 रकबा 0.005 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.075 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में काले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **जूही भार्गव (आर.ए.एस)**

राजस्व वाद संख्या 146/2017/ दावा

1. नानूराम श्री लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. रामनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जुगल किशोर पुत्र जगदीश प्रसाद
4. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. आर.एम.जी.बी. जरिये शाखा टाकरडा तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 17.02.2020

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः—

1. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/6 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मुर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 5/12 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद हिस्सा 5/12 जाति अहीर सा. केसाकाबास हाल सा. देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/3 रकबा 0.06 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
2. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/4 रकबा 0.29 है0, 214/10 रकबा 0.23 है0, 298 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
3. रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तहसील सांभर सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214 रकबा 0.945 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
4. नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन सा0 केसाकाबास तह0 सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/5 रकबा 0.37 है0, 214/7 रकबा 0.005 है0, 214/9 रकबा 0.49 है0, 298/1 रकबा 0.05 है0, 214/12 रकबा 0.01 है0, 214/450 रकबा 0.005 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
5. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 349/600, रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनाराायण हिस्सा 1/600, नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 3/12 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/12 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/12 जाति अहीर सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/1 रकबा 0.06 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।
6. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 13/42 नानूराम पुत्र लक्ष्मीनाराायण हिस्सा 1/3 रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जुगलकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/84 नाबालिग पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/84 संरक्षक पिता जगदीश प्रसाद जाति अहीर सा0 केसाकाबास तह0 सांभर हाल

सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 214/2 रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।

7. गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 नानूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 राहिन आर.एन.जी.बी. शाखा टांकरडा मूर्तहीन जाति अहीर सा0 केसाकाबास तहसील सांभर हाल सा0 देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 213 रकबा 0.01 है0, 214/6 रकबा 0.01 है0, 214/8 रकबा 0.05 है0, 214/11 रकबा 0.005 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.075 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में काले रंग के डॉट्स से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पक्षकारान के पृथक पृथक खातों का निर्धारण एवं तदनुसार लगान निर्धारित करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.02.2020 को जारी किया ।

दस्तखत———

ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Juhi Bhargava
Date: 2020.03.05 11:38:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: